न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. 3/9/2022 तारीख रजू.............................

धर्मवती बनाम तहसीलदार कठूमर कोर्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.4.22	वकील प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना-पत्र 128 LRA प्रार्थी के वकील श्री [illegible] शर्मा एड० ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट की गई। प्रा० पत्र दर्ज पंजिका हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। तहसीलदार कठूमर को तलब हो दिनांक 6/5/22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
6.5.22	वकील उपस्थित। प्रतिवादी [illegible] 2,3 की ओर से श्री नरेश कुमार एड० ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी जवाब के समय चाहा। अन्य प्रतिवादीगण रजिस्टर्ड नोटिस जारी हो पेश किया [illegible]। पत्रावली वास्ते जवाब तलब दिनांक 20/5/22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
20/5/22	............निर्वाचन............उपरान्त आगामी आदेश दिनांक........... को न्यायालय में फल. श्री वास्ते.........सुनवाई ताकी दिनांक.........9/6/22.........को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
9/6/22	............निर्वाचन............उपरान्त आगामी आदेश दिनांक........... को न्यायालय में फल. श्री वास्ते.........सुनवाई ताकी दिनांक.........10/6/22.........को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
3/11/22	वकील प्रार्थी ....उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक.........6-5-22..... की पालना में पत्रा वी वास्ते....जवाब अप्रार्थीगण दिनांक....14/11/22.......... को पेश हो। अप्रार्थी सरकार। उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
14/11/22	~~[illegible]~~, पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। जवाब सरकार पैरोकार पेश किया। [illegible] तहसीलदार प्रतिवादी को पूर्व में कई मौके प्रदान किया जा चुके हैं इनका जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र 128 LRA दिनांक 15/11/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
15/11/22	वकील प्रार्थी उपस्थित पत्रावली पर बहस सुनी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 LRA स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया गया। [illegible] मि० किया गया। पत्रावली ~~[illegible]~~ फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जिला अभिलेख लेखागार भण्डार भेजी जावे। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखन सिंह गुर्जरआर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/9/2022

वउनवान

1. धर्मवतीपत्नी स्व0 सुमेरसिंहजातिजाटनिवासी खैडामैदा तहसील कठूमर जिला अलवर।

प्रार्थीया

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

अप्रार्थी

2. आशा पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी खैडामैदा तहसील कठूमर
3. सोनदेई पत्नी गोपाल सिंह जाति जाट निवासी खैडामैदा तहसील कठूमर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्डरेवन्यु एक्ट

उपस्थित

श्री सुभाषचन्द "अर्रूवा" एडवोकेट–अधिवक्ता प्रार्थीयान

आदेश दिनांक 15.11.2022

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार स है कि प्रार्थीया व तरतीवी अप्रार्थीयान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरानम्बर 5392 रकवा 0.11 हे. ग्राम खैडामैदा तहसील कठूमर में स्थित है।जो आराजी प्रार्थीया व तरतीवी प्रतिवादीगण की खातेदारी की दज रेकार्ड आराजी है। उक्त आराजी की सीमा यें हो रही है लेकिन उक्त आराजी की सीमायें खुली होने अथवा तारबन्दी व पत्थरगढी नहीं होने के कारण पडौसी खातेदार ताकत के बल पर प्रार्थीयाको परेशान करते है तथा काश्त करन में बाधा पैदा करते है तथा उक्त आराजी की डोलों को तोड कर उक्त आराजी की जमीन का अपने खेत म मिला

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

लेते है। प्रार्थीया महिला है। पडौसी खातेदार जबर्दस्त व लडाकूव्यक्ति ह`जो आये दिन प्रार्थीया की उक्त खातेदारी की आराजी की मेडों को ट्रेक्टर से जोतकर व फावडों से काटकर उक्त आराजी की भूमिको अपनी आराजी म`मिलान की कोशिश करते है प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1029 की पैमाइस का प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार कठूमर के समक्ष पेश किया आवेदन पत्र पर तहसीलदार कठूमर द्वारा पटवारी हल्का खैडामैदा एंव कानूनगौ द्वारा पैमाइस कराई गई जो रिपोर्ट दिनांक 09.06.2021 को तैयार की गई। जो पैमाइस रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। अतः मौका पर्चा (पैमाइस रिपोर्ट) दिनांक 09.06.2021 के आधार पर 392 रकवा 0.11 हे. वाके ग्राम खैडामैदा तहसील कठूमर की पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलव किया गया। तरतीवी अप्रार्थी सं0 2-3 को जवाव के लिये काफी मौके दिये गये लेकिन जवाव पेश नहीं करने पर दिनांक 14.11.2022 को जवाव बन्द किया गया। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से पैरोकार सरकार ने हाजिर होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि पैमाइस पटवारी अनुसार स्वीकार है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पैमाइस रिपोर्ट का अवलोकन किया।

पैरोकार सरकार ने पैमाइस रिपोर्ट को सही बताया है।

प्रार्थीयान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सत्यप्रतिलिपी पर्चा मौका दिनांक 09.06.2021 व सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी हालसंवत् 2075 से 2078 वाके ग्राम खैडामैदा पेश की है। हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया व पैरोकार सरकार को सुना।मुताविक जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 392 रकवा 0.11 हे. ग्राम खैडामैदा तहसील कठूमर प्रार्थीया धर्मवती व तरतीवी प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है।अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार को आदेश दिये जाते है कि वो मुताविक सीमा ज्ञान दिनांक 09.06.2021को ध्यान में रखते हुये उक्त आराजी से फसल कटने के वाद विधि के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 392 रकवा 0.11 हे. वाके ग्राम खैडामैदा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

तहसील कठूमर की प्रार्थीया के खर्चे पर पत्थरगढी कराकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। आदेश की तहरीर तहसीलदार कठूमर को बास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

लाखनसिंहगुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)

अतः यह आदेश आज दिनांक 15.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखन सिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)